

सं. No. RR Site /In-Charge(C&MM-WG)/CPT-A 2948/2026/M/43

दिनांक Date: 30.06.2026

कार्य आदेश WORK ORDER

प्रति To,

मेसर्स यूनाइटेड इंजिनियर्स

M/s United Engineers

हाउस नं. 185, नया बाजार, रावतभाटा

House no. 185, new market, Rawatbhata,

रावतभाटा, राजस्थान- 323307

Rawatbhata, Rajasthan-323307

मोबाइल नं. Mobile- 9462727560

Email:- unitedengineers20@gmail.com

W.O. No.	64813
SL CODE	WOS 64813
A/C CODE	74100
USI NO.	81100
CHARGE CODE	6202
CC CODE	645
MSME Registration	Yes
PAN NO.	AOXPS2836M
NAME	GAJENDRA SINGH
GSTIN	08AOXPS2836M1ZW
GST Rate	18%
Bank Account No.	51089370796
Bank & Branch	State Bank of India
IFSC Code	SBIN0031652

कृपया ध्यान दें Kind Attention Mr. GAJENDRA SINGH

विषय Subject	:	“आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर पेंटिंग, मुख्य संयंत्र, WMCF एवं अन्य भवनों में एपोकसी पेंटिंग तथा रापबिघ 3 एवं 4 तथा WMCF में मौजूदा स्ट्रक्चर इत्यादि पर इनेमल पेंटिंग का कार्य Work Order for the work of “Painting work on Internal & External surfaces, epoxy painting in main plant, WMCF & other buildings, and enamel painting on existing structures etc.in RAPS-3&4 and WMCF”.
संदर्भ Reference	:	1. निविदा सं. Tender No. :- NPC/RRS/34/2026/CPT-A 2948
	:	2. आपका ई-निविदा प्रस्ताव सं. : 994378 दिनांक 27/03/2026 Your e-Tender Offer no.: 994378 Dtd. 27/03/2026

प्रिय महोदय Dear Sir,

- 1.0 आपको सूचित किया जाता है कि (अनुलग्नक-I) उपरोक्त संदर्भनुसार आपके द्वारा उत्तरवर्ती पत्रों के साथ प्रस्तुत की गई बोली को एनपीसीआईएल के लिए एवं की ओर से मात्राओं एवं दरों की अनुसूची में दर्शाई गई मदों की दरें तथा कुल सभी करों सहित ` 2,91,32,600/- (रु दो करोड़ ईकानवे लाख बतीस हजार छः सौ मात्र) के मूल्य के लिए निविदा में सम्मिलित दरों को स्वीकार कर लिया गया है।

This is to inform you that the bid submitted by you along with subsequent letters as referred above has been accepted for and on behalf of NPCIL for the item rates as shown in the Schedule of Quantities and Rates (Annexure-1) covered by the tender for a total value of ` 2,91,32,600/- (Rupees Two Crore Ninety One Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred Only) inclusive of all taxes

- 1.1 संविदा के प्रचलन के दौरान वस्तु एवं सेवा कर की दर में कोई भी परिवर्तन होने पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति/वसूली प्रयोज्य नियमों के अनुसार की जाएगी। Any variation in the rate of Goods & Service Tax during the currency of the contract shall be reimbursed/ recovered by the Corporation as per applicability on submission of documentary evidence.

- 2.0 मात्रा एवं दरें Quantities & Rates (AHR): Not Applicable

- 3.0 पूर्णता अवधि Completion Period:

- 3.1 यह कार्य सभी अर्थों में कार्य आरंभ होने की तारीख से 24 (चोबीस) कैलेंडर माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। कार्य आरंभ होने की तारीख की गणना कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर से की जाएगी।

The work shall be completed in all respect within **24 (Twenty Four) Calendar Months** from the date of commencement. The date of commencement will be reckoned with in **15** days from the issue of this work order.

- 3.2 वास्तविक कार्य प्रारम्भ होने की तारीख से ईएसआई/बीमा पॉलिसी ली जानी है। कार्य प्रारम्भ किए जाने की वास्तविक तारीख एवं विधिमाम्य बीमा योजना के प्रभावी होने की तारीख के बीच के समय को बीमा योजना की अननुपलना माना जाएगा तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ESI / Insurance policy is to be obtained from the date of actual commencement of work. The period between the date of actual commencement of work and effective date of valid insurance policy shall be treated as noncompliance of insurance policy and shall be governed accordingly.

- 3.3 समयबद्धता संविदा की आत्मा है तथा कार्य को कार्य की अनुसूची के अनुसार ही पूर्ण किया जाएगा।

The time shall be the essence of the contract & the work shall be completed as per the schedule of work.

4.0 सुरक्षा जमा Security Deposit:

- 4.1 सुरक्षा जमा राशि ` 29,13,260/- (रुपए उनतीस लाख तेरह हजार दो सौ साठ मात्र) अर्थात संविदा मूल्य की राशि का 10% होगी तथा जीसीसी के खंड सं. 4.2 के अनुसार नियंत्रित होगी।

Security Deposit shall be @ 10% of the Contract value i.e. ` 29,13,260/- (Rupees Twenty Nine Lakh Thirteen Thousand Two Hundred Sixty Only) and shall be governed as per clause no. 4.2 of GCC.

- 4.2 सुरक्षा जमा की उपरोक्त की गई गणना को दो भागों में विभाजित किया जाएगा एवं तदनुसार प्रस्तुत किया जाएगा: Security Deposit as calculated above shall be split in following two parts and to be furnished accordingly:

- a) जीसीसी के खंड सं. 4.2.3 के अनुसार, कार्यनिष्पादन गारंटी (अर्थात सुरक्षा जमा का 50%) 14,56,630/- (रुपए चौदह लाख छपन हजार छः सौ तीस मात्र) संविदा एवं सामाग्री प्रबंधन (वर्क्स ग्रुप) को निर्धारित प्रपत्र में जमा कराई जाएगी। एलओआई / कार्य आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर कार्यनिष्पादन गारंटी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इस कार्य आदेश को निरस्त समझा जाएगा।

As per clause no. 4.2.3 of GCC, performance guarantee (i.e. 50% of Security Deposit) ` 14,56,630/- (Rupees Fourteen Lakh Fifty Six Thousand Six Hundred Thirty Only) in the acceptable form shall be submitted to Contract & Material Management (Works Group). In case, performance guarantee is not submitted within the 30 days of issue of LOI /work order then this work order shall be liable towards cancellation.

- b) प्रतिधारण राशि अर्थात सुरक्षा जमा (अर्थात सुरक्षा जमा का 50% जो 14,56,630/- है) (रुपए चौदह लाख छपन हजार छः सौ तीस मात्र) की वसूली आपके चालू बिल (Running Bills) में से की जाएगी। Retention money (i.e. 50% of Security Deposit amounting ` 14,56,630/- (Rupees Fourteen Lakh Fifty Six Thousand Six Hundred Thirty Only) shall be recovered from your Running Bills.

- 4.3 प्रतिधारण राशि की कटौती उपरोक्त गणना किए गए सुरक्षा जमा के 50% की वसूली होने तक किए गए कार्य के मूल्य से 6% की दर से चालू बिलों में से की जाएगी। सुरक्षा जमा की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। Retention Money shall be deducted at the rate of 6% of the value of work done from Running Bills till the 50% of Security Deposit amount as calculated above, is recovered. Security deposit amount will not bear any interest.

- 4.4 सुरक्षा जमा का प्रतिदाय संविदा की समान्य शर्तों के खंड 4.3 के अनुसार नियंत्रित होगा। 03 (तीन) महीनों की “दोष देयता अवधि” (Defect Liability Period) (निविदा देस्तावेज के सेक्शन-I शिड्यूल-A के अनुसार) एनपीसीआईएल द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा। Refund of security deposit shall be governed by clause no. 4.3 of General Conditions of Contract. “Defect Liability Period” (as per Schedule-A of Section-I of tender document) of **03 (Three) months** will be effective from the date of completion as certified by the NPCIL.

5.0 भुगतान की शर्तें Payment Terms:

- 5.1 SOQR की मदों के लिए प्रगामी भुगतान (progressive payment) मासिक आधार पर निष्पादित किए गए कार्य तथा प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित किए जाने के अधीन के मानव संसाधन द्वारा मजदूरी भुगतान प्रमाणपत्र तथा निविदा सूचना के सेक्शन-III के अनुलग्नक-I के अनुसार जीएसटी इन्वॉइस के साथ जीएसटी घोषणा प्रस्तुत करने पर चालू खाता बिलों (Running Account (RA) Bills) के माध्यम से अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाएगा।

The progressive payment for the item of SOQR shall be made on monthly basis for the work executed & accepted as certified by EIC as per approved rates through Running Account (RA) Bills on submission of labour payment certificate issued by HR and GST invoice along with GST declaration as per Annexure-I of Section -III of Tender-Notice.

5.2 निविदा सूचना के सेक्शन-A के लागू खंड के अनुसार जल प्रभार की कटौती आपके बिलों में से की जाएगी। Water charges as per relevant clause of Schedule-A of Tender-Notice will be deducted from your bills.

निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार प्रयोज्य प्रकार की अन्य वसूली जैसे दंड, किराया प्रभार, विद्युत प्रभार, यदि कोई हों, आदि भी संविदाकार के आर. ए. बिल में से की जाएगी।

Other recoveries if any, as per applicability such as penalty, hire charges, Electricity charges etc. shall also be made from Contractor's R.A. Bill as per Tender/Contract conditions.

5.3 **स्त्रोत पर कारों की कटौती Taxes Deduction at Source:**

आय कर: भारत सरकार/राज्य सरकार के विधिक निकायों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्रयोज्य।

Income Tax: As Applicable as per notification issued by the Statutory Body Govt. of India/State Govt. from time to time.

वस्तु एवं सेवा कर: भारत सरकार/राज्य सरकार के विधिक निकायों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्रयोज्य।

Goods & Service Tax: As Applicable as per notification issued by the Statutory Body Govt. of India/State Govt. from time to time.

कर: सीजीएसटी एवं एसजीएसटी अधिनियमों के “Anti-profiteering” प्रावधानों के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होने के नाते आपको न्यून कराधान तथा साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट पर मिलने वाले लाभ जैसे लाभों को अंतिम उपभोक्ता अर्थात् एनपीसीआईएल को हस्तांतरित करने हैं।

Tax: Under “Anti-profiteering” provision of CGST & SGST Acts, being suppliers of Goods & Services, you are mandatorily required to pass on such benefits of lower taxation as well as benefits on input tax credit to the ultimate consumer i.e. NPCIL.

प्रतिवर्ती प्रभार प्रक्रिया: यह वर्तमान में प्रयोज्य नहीं है तथा कर विभाग को प्रयोज्य जीएसटी जमा करने/रियायत देने की पूरी ज़िम्मेदारी/देयता मेसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स की होगी।

Reverse Charge Mechanism: Presently not applicable and entire responsibility/liability of depositing/remitting the applicable GST to Tax Department will lie with **M/s United Engineers.**

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर किसी अन्य कर की भी कटौती की जाएगी।

In addition to above, any other tax based on notification issued by Govt. of India/State Govt. from time to time shall also be deducted.

5.4 **संविदा के अलग-अलग स्तरों पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार हैं:**

Documents to be submitted by the bidder at different stages of contract are as follows:-

A) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Before commencement of work:

संविदाकार कार्य प्रारम्भ करने के पहले निम्नलिखित दस्तावेज प्रभारी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

The Contractor shall submit following documents to Engineer-in- Charge before commencements of work.

a. कार्य आदेश/एलओआई/संविदा आदेश/संस्तुति आदेश स्वीकृति पत्र. Work order / LOI / Contract Order / Sanction Order acceptance letter.

b. श्रमिक लाइसेंस, यदि लागू हो, तो प्राप्त करने के लिए प्रधान नियोक्ता प्रमाणपत्र (फॉर्म-III) जारी किए जाने के लिए आवेदन।

Application for issue of Principal Employer's Certificate (Form-III) for getting a Labour license, if applicable.

c. BOCW अधिनियम तथा BOCW उपकर अधिनियम अधीन संविदाओं के लिए, संविदाकारों को स्वयं को उक्त अधिनियम से तहत पंजीकृत करवाना होगा। इस पंजीकरण की प्रति प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करनी होगी।

For the Contracts covered under BOCW Act and BOCW Cess Act, the contractor must get themselves registered under the Act. The copy of registration along with the shall be submitted to Engineer-in- Charge.

d. प्रीमियम की रसीदों के साथ बीमा योजनाओं की मूल प्रतियाँ
Original Insurance Policies along with premium receipts

i. संपूर्ण संविदा मूल्य (जीएसटी सहित) के लिए संविदाकार की सर्व जोखिम बीमा पॉलिसी जिसमें प्रयोज्यता के अनुसार संविदा मूल्य की 10% राशि के लिए तृतीय पक्ष देनदारी (Third Party Liability) के लिए बीमा भी सम्मिलित है।
Contractor's All Risk Insurance policy for the whole contract value (Including GST) including insurance for Third Party Liability for 10% of the contract value as per the applicability.

- ii. ESI योजना के अधीन व्यक्तियों के नाम इंगित करता ESI देस्तावेज अथवा वर्क मैन मुआवजा नीति अथवा प्रयोज्यता के अनुसार दोनों।
ESI document indicating the names of persons covered under the ESI scheme OR Workmen Compensation Policy OR both as per the applicability.
- e. संविदा की समान्य शर्तों के खंड सं. 4.2.3 के अनुसार कार्यनिष्पादन गारंटी
Performance guarantee as per clause 4.2.3 of General Conditions of Contract.
- B) RA बिल के भुगतान के लिए** For payment of the RA Bill,
संविदाकार प्रभारी अभियंता को प्रथम आरए बिल के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:
The contractor shall submit the following documents along with first RA bill to EIC.
- श्रमिक लाइसेंस, जहां कहीं भी प्रयोज्य हो (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)
Labour license wherever applicable (along with first RA Bill only).
 - जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी पंजीकरण की प्रति (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)
GST registration Copy as per GST Act (along with first RA Bill only).
 - जीएसटी के लिए घोषणा पत्र (अनुलग्नक-I) Declaration form for GST (**Annexure-I**)
 - पिछले माह के GST कटौती के प्रमाण।
Proof of previous month GST remittance.
 - प्रतिष्ठान के ईपीएफ पंजीकरण की प्रति के साथ कर्मचारियों की यूनिवर्सल EPFO खाता संख्या, जो KYC विवरण जैसे आधार संख्या, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता संख्या से लिंक हो (केवल प्रथम चालू खाता बिल के साथ)।
Copy of registration of EPF for firm along with the Universal EPFO account number (UAN) of all the employees, which shall be linked to KYC details such as Aadhaar number, Mobile number and bank account number (along with first RA Bill only).
 - साझा प्रतिष्ठान के मामले में साझेदारी के देस्तावेज तथा कंपनी के मामले में प्रतिनिधि का मुख्तारनामा (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)
Partnership deed of firm in case of partnership firm or power of attorney of the representative in case of company (along with first RA Bill only).
 - भुगतान के लिए संविदाकार का बैंक खाते के विवरण (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)
Bank account details of the contractor for payment (along with first RA Bill only).
 - PAN कार्ड की प्रति (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)
Copy of PAN card (along with first RA Bill only).
 - प्रत्येक श्रमिक एवं संविदाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित यूनिफॉर्म वितरण का रिकॉर्ड। प्रपत्र अनुलग्नक-D के रूप में संलग्न है।
Record of uniform distribution duly signed by the Contractor and each of his workers. Proforma is enclosed as Annexure-D
 - बिल की अवधि के लिए एनपीसीआईएल के प्रतिनिधि की उपस्थिति प्रमाणित मजदूरी भुगतान पंजिका की प्रति तथा बैंक अंतरण का विवरण।
Copy of wage register witnessed by NPCIL representative for the bill period and bank transfer details.
 - मानव संसाधन द्वारा जारी मासिक मजदूरी भुगतान प्रमाणपत्र
Monthly wage certificate issued by HR.
 - पिछले माह के EPF जमा के देस्तावेजी प्रमाण जिसमें प्रत्येक UAN का स्टेटमेंट दर्शाया गया हो।
Documentary proof of previous month EPF deposition showing statement for each UAN.
 - ESIC पंजीकरण के विवरण की प्रति
Copy of ESIC registration details.
 - तीन प्रतियों में टैक्स इन्वॉइस/ई-इन्वॉइस अथवा ई-इन्वॉइस का वचनपत्र।
Tax invoice/e-invoice or undertaking of e-invoice in triplicate.
 - पिछले माह की ESI जमा के देस्तावेजी प्रमाण के साथ श्रमिकवार कटौती का विवरण, यदि लागू हो।
Documentary proof of previous month ESI deposition including employee wise details of remittance, if applicable.
 - पिछले माह के BOCW उपकर कटौती के लिए साक्ष्य, यदि लागू हों।
Proof of previous month BOCW Cess remittance if applicable.
 - प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) वचनबंध के लिए हस्ताक्षरित अनुलग्नक-एफ, यदि लागू हो (प्रथम आरए बिल के साथ)
Signed Annexure - F for Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) Scheme undertaking if applicable (along with first RA Bill).
- C) अंतिम बिल के भुगतान के लिए for payment of the Final Bill:**
आरए बिलों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जाना है:

The following documents shall be submitted in addition to those required for RA bills:

- a. संविदाकार द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं करने की घोषणा।
No claim declaration by the Contractor.
- b. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के संबंध में संविदाकार द्वारा क्षतिपूर्ति।
Indemnification by the Contractor regarding compliance of EPF & MP Act, 1952.
- c. बेबाकी प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
No dues certificates if any.
- d. PMRPY योजना की वचनबद्धता हेतु हस्ताक्षरित अनुलग्नक-जी
Signed Annexure- G for PMRPY Scheme undertaking.
- e. BOCW अधिनियम, 1996 की अनुपालना के संबंध में संविदाकार द्वारा क्षतिपूर्ति, यदि प्रयोज्य हो।
Indemnification by the Contractor regarding compliance of BOCW Act, 1996, if applicable.
- f. वास्तविक समापन तिथि तक मानव संसाधन समूह से मजदूरी प्रमाण पत्र।
Wages certificate from HR section up to actual date of completion.

D) बोलीदाताओं द्वारा विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना

Compliances by the bidders on statutory requirement:

- a. **आरए बिल/अंतिम बिल RA Bill / Final Bill:**
संविदाकार का निरंतर अनुवीक्षण किया जाएगा और संविदाकार द्वारा संविदा की सामान्य शर्तों अथवा किसी अन्य संविदा दस्तावेज में उल्लिखित विधिक प्रावधानों की अनुपालना करने में असफल होने पर चालू लेखा बिलों/ अंतिम बिल को रोक लिया जाएगा।
The Contractor will be continuously monitored and Running Account Bills/ Final Bill of the Contractor will be withheld if they fail to comply with statutory provisions as mentioned in the General Conditions of Contract or any other contract document.
- b. **निष्पादन बैंक गारंटी(पीबीजी)/सुरक्षा राशि(एसडी) जारी करना**
Release of Performance Bank Guarantee (PBG) / Security Deposit (SD):
संविदाकार को प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित समस्त विधिक अनुपालना समेत संविदा के संतोषजनक कार्यपूर्णता के उपरान्त पीबीजी एवं एसडी जारी की जाएगी।
Release of PBG & SD will be after the satisfactory completion of the Contract including all statutory compliances as certified by the Engineer-in-Charge.

6.0 संविदा मूल्य का समायोजन Contract Price Adjustment:

- 6.1 इस संविदा के लिए संविदा मूल्य के समायोजन की प्रयोज्यता जीसीसी के उपयुक्त नियम के अनुसार होगी।
Applicability of Contract Price Adjustment for this contract will be as per relevant clause of GCC.

7.0 मजदूरी एवं संविदा श्रमिक अधिनियम Wages & Contract Labour Act:

- 7.1 आपको संविदा की सामान्य शर्तों के खंड सं. 5.4 के संविदा श्रमिक अधिनियम (नियमन एवं उन्मूलन), 1970 विविध प्रावधानों तथा इसके पश्चात समय-समय पर बनाए गए नियमों की अनुपालना करनी होगी। यदि आपके संगठन पर संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 लागू नहीं होता है तो, इसके लिए आप कार्य प्रारंभ करने के पहले प्रभारी अभियंता को सूचित करेंगे।

You shall comply with various provisions of the Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970 of GCC Clause No. 5.4 and rules framed thereafter from time to time. In case the Contract Labour Act 1970 does not apply to your organization, you shall intimate to the Engineer-In-Charge of this work before commencement of the work.

इसके अतिरिक्त आपको नीचे वर्णित अन्य सभी प्रावधानों की पालना करनी होगी:

Further, you shall also comply with the provisions of all other applicable laws such as:

- a) कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम-1948 अथवा वर्क मैन मुआवजा नीति (यदि सभी अथवा कुछ श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के तहत पात्र नहीं होते हैं तो सभी/शेष वर्क मैन के लिए श्रमिक मुआवजा नीति की आवश्यकता होगी) अर्हता निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना का संदर्भ लिया जाए।

Employees State Insurance (ESI) Act-1948 Or Workman Compensation Policy (if all or some of the workers are not covered under the Employees State Insurance Act. 1948, the Workman Compensation Policy will be required for all / remaining workmen/employees. Notification issued by Govt. of India under the Act may be referred for deciding the eligibility).

- b) मजदूरी भुगतान अधिनियम The Payment of Wages Act-1936.
- c) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम The Minimum Wages Act-1948.
- d) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम-1952
The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provision Act-1952.
- e) उपदान का भुगतान अधिनियम Payment of Gratuity Act-1972
- f) भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन का नियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-1996 (यदि प्रयोज्य हो)
The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act-1996 (if applicable).
- g) अन्य प्रयोज्य श्रम कानून जो प्रधान नियोक्ता के रूप में किसी प्रकार के व्यय का उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। ऐसी किसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर, एनपीसीआईएल के पास आपसे/आपके बिलों से उनकी वसूली करने का अधिकार है।

Other applicable labour laws which attract any liability to incur any expenditure as Principal Employer. If such situation arises, NPCIL is entitled to recover the same from you/your bills

- 7.2 यदि इस कार्य के लिए 19 से अधिक श्रमिक नियोजित किए जाने हैं तो आपको प्रधान नियोक्ता का प्रमाणपत्र प्रपट करने के लिए अनुरोध करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस कार्य आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर आपको इस कार्य में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम श्रमिकों के लिए क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त के पास श्रम अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करना होगा। आप संबंधित प्राधिकारियों से एक मान्य श्रम अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा इस कार्य आदेश में 20 अथवा अधिक श्रमिक नियोजित करने से पूर्व प्रभारी अभियंता को श्रम अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करेंगे।

You will have to give request of Principal Employer's Certificate for obtaining labour license, if more than 19 numbers of workman are proposed to be employed for this work. Please note that, you have to apply for a labour license in the office of Assistant Labour Commissioner of the area within 15 days from the date of issue of this work order for maximum number of workers you have indicated to engage on the work. You shall ensure to obtain a valid labour license from the concerned authorities and submit labour license to Engineer-In-Charge before engagement of 20 or more workers in work order.

- 7.3 संविदाकार को अपने सभी श्रमिकों को आगे आने वाले माह के 7वें दिन अथवा उसके पहले बैंक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करना होगा, अन्यथा एससीसी के भाग-I के श्रेणी I से श्रेणी IV के खंड सं. 19 के अनुसार दंड अधिरोपित किया जाएगा। संविदा श्रमिकों को राशि के अंतरण वाली बैंक द्वारा जारी बैंक स्टेटमेंट/ऑन लाइन द्वारा सृजित बैंक स्टेटमेंट निविदा दस्तावेज़ के भाग-III के लागू खंड के अनुसार कार्य प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

The contractor shall make the payment to all its labour on or before 7th day of succeeding month through bank, failing which penalty shall be imposed at the rate of as per Clause no. 19 category I to Category IV Part-I of SCC. Bank statement issued by bank/online system Generated Bank Statement having transferred the amount to the contract workers should be submitted to EIC of the work as per relevant clause of Section-III of Tender Documents.

- 7.4 संविदाकार को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में उल्लिखित एवं निविदा दस्तावेज़ में एससीसी के संबंधित खंड के अनुसार बोनस का भुगतान करना होगा।

The contractor shall have to make payment of Bonus as prescribed under the Payment of Bonus Act-1965 & as per relevant clause of SCC in Tender Documents.

- 7.5 निविदा दस्तावेज़ के एससीसी के संबंधित खंड के अनुसार कार्य प्रभारी अभियंता के पास ईएसआई में अंशदान के दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

Document evidence of ESI contribution is to be submitted to EIC of work. As per relevant clause of SCC in Tender Documents.

8.0 **कार्य का निष्पादन Execution of work:**

कार्य को निविदा में उल्लिखित निबंधनों, शर्तों एवं विनिर्देशनों की सख्ती से अनुपालना करते हुए सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए। आपको निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुभाग की विशेष आवश्यकता (यदि कोई हो) के अनुसार पात्र अभियंताओं/पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी होगी तथा उन्हें बनाए रखना होगा। कार्य को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के लिए आप साइट एवं कार्य स्थल पर सभी आवश्यक मशीनरी तथा उपकरण एवं अन्य समग्रियाँ लाएंगे।

The work shall be carried out strictly in accordance with the terms, conditions and specifications stipulated in the tender and also in best workman like manner. You shall employ and maintain

qualified engineers/supervisors as per Sectional Special Condition of Tender Documents (if any). You shall also bring to the site and place such machinery and equipments & other materials as are necessary for the satisfactory completion of work.

9.0 **प्रभारी अभियंता Engineer-In-Charge:**

श्री राजेश कुमार मीना, वैज्ञानिक अधिकारी/डी (सिविल) इस कार्य के प्रभारी अभियंता होंगे। आप प्रभारी अभियंता से परामर्श के उपरांत तत्काल कार्य आरम्भ हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे।

Shree Rajesh Kumar Meena, SO/D (Civil) will be the Engineer-in-charge of this work. You may make necessary arrangement for commencing the work immediately in consultation with Engineer-In-Charge.

- 10.0 आपसे आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि के नाम सूचित करने का अनुरोध किया जाता है जो कि संविदा से जुड़े समस्त मामलों पर कार्य करेंगे एवं समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विधिवत रूप से उनके नाम तैयार किया गया मुख्तारनामा प्रस्तुत करना होगा।

You are requested to inform the name of your authorized representative who will deal with all matters relating to the contract and the Power of Attorney in his favour duly executed on stamped paper of an appropriate value shall be furnished.

- 11.0 संविदा के निष्पादन के दौरान एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने तक आप सर्व संबंधित को तृतीय पक्ष देयता सहित कार्य, संरचना, संपत्ति आदि को आपके कारण होने वाले किसी नुकसान, टूट-फूट अथवा कार्य में तोड़-फोड़ की क्षतिपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे, जिसका निर्धारण प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

During the execution of the contract and until completion certificate is issued, you will be fully liable to compensate all concerned for any loss, damage or destruction of work, structure, property etc. including third party risk arising due to causes attributable to you which will be decided by the Engineer-in-Charge, whose decision in this regard will be final.

12.0 **संरक्षा एवं साफ-सफाई Safety & Housekeeping:**

संविदाकार को संविदा की सामान्य शर्तों के खंड सं. 5.6 तथा 21-प.ऊ.नि.बो. संरक्षा मार्गदर्शन के अनुसार सभी संरक्षा नियमों एवं विनियमों की अनुपालना करनी होगी। संविदाकार निविदा दस्तावेज़ के संबंधित खंडों एवं प्रक्रियाविधियों के अनुसार सभी संरक्षा एहतियातों, संरक्षा प्रशिक्षणों, संरक्षा अनुमतियों (औद्योगिक एवं रेडियोलॉजिकल) अनुपालना एवं क्रियान्वयन तथा संबंधित कार्य क्षेत्र की उचित साफ-सफाई के लिए उत्तरदायी होगा।

Contractor has to comply all the safety rules & regulations as per GCC clause No. 5.6 and 21- AERB Safety guide. Contractor shall be responsible for the observance & implementation of all safety precautions, Safety Trainings, Safety permissions (Industrial / Radiological) and proper housekeeping of the respective working area as per procedures and as per relevant Clauses of Tender document.

13.0 **करार Agreement:**

अनुरोध है कि इस कार्यदेश के जारी होने के 30 दिनों के अन्दर करार तैयार करवाने के लिए रु 500/- का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर संविदा एवं सामाग्री प्रबंधन (वर्क्स समूह) में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। इस कार्यदेश के जारी होने की तिथि अथवा प्रथम चालू बिल के जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर एनपीसीआईएल एवं **मेसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स** के मध्य समस्त निबंधन एवं शर्तों को समाहित करते हुए एक औपचारिक करार निष्पादित किया जाएगा। औपचारिक समझौता निष्पादित किए जाने तक निविदा दस्तावेज़ में वर्णित निबंधन एवं शर्तों को कार्य आर्बिट्रि किए जाने तक हुए समस्त पत्राचार की विषयवस्तु के साथ पढ़ी जाएं एवं इस कार्यदेश की विषयवस्तु एनपीसीआईएल एवं **मेसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स** के मध्य बाध्यकारी संविदा बनेगी।

It is requested to submit a Non-Judicial Stamp paper of ` 500/- to Contract & Material Management (Works Group) office for preparation of agreement within 30 days of issue of this work order to prepare a formal agreement between NPCIL & **M/s United Engineers** within 60 days from the date of issue of this work order or release of 1st RA bill, whichever is earlier. Till formal agreement is executed, the terms and conditions stipulated in the tender document read along with the contents of all correspondences exchanged till the award of work and the contents of this work order shall form a binding contract between NPCIL & **M/s United Engineers**

14.0 सामान्य General :

- 14.1 संविदा अवधि के दौरान किसी विवाद/शंका, जो कुछ भी होने पर, संविदाकार एवं एनपीसीआईएल के मध्य निविदा की सामान्य शर्तें बाध्यकारी होंगी। यह कार्यदिश संविदा की सामान्य शर्तों(जीसीसी) के खंडों द्वारा अधिशासित होंगे। अन्य समस्त निबंधन एवं शर्तें निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

In case of any dispute/ confusion whatsoever it may be during the contract period, General Conditions of Contract of Tender shall be binding between the contractor and NPCIL. This work order will be governed by the clauses of the General condition of contract (GCC). All other terms and conditions will be applicable as per tender document.

- 14.2 शास्तियों का जहाँ भी उल्लेख है, उनमें GST अधिरोपित होगा। देय शास्ति राशि पर GST अलग से प्रभारित किया जाएगा।

Penalties wherever mentioned are excluding GST. GST will be charged extra over levied penalty amount.

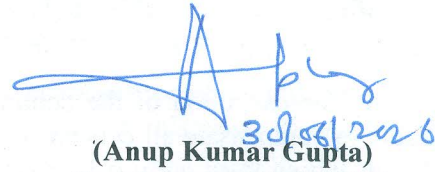
- 15.0 आपसे इस कार्यदिश की पावती एवं स्वीकृति देने तथा प्रभारी अभियंता से परामर्श कर अनुसूची के अनुसार कार्य आरंभ करने का अनुरोध किया जाता है।

You are requested to acknowledge the receipt & acceptance of this work order and commence the work as per schedule in consultation with the Engineer-in-charge.

धन्यवाद Thanking you,

संलग्न: मात्राओं एवं दरों की अनुची (अनुलग्नक-1)

Encl: Schedule of Quantities & Rates (Annexure-I)


(Anup Kumar Gupta)

Sr. Manager(CMM-WG)

Rawatbhata Rajasthan Site

वास्ते एवं कृते For & on behalf of the
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited

CC : SD, RAPS-3&4 }
: CS, RAPS-3&4 } For kind inf. pls. thru. e-mail
: MS, RAPS-3&4 }

- : Vigilance officer – along with SOQR
: Head C&MM-WG / DGM(C&MM-WG)/Anup Kumar Gupta, SM, C&MM (WG), RR Site
: Head (F&A)/ DGM (F&A)/ SM (F&A)
: Head (HR) /DGM (HR)/ SM (HR)
: Shree Rajesh Kumar Meena, SO/D (Civil), RAPS-3&4 - Engineer-In-Charge

i) कें.नि.प्रको. में स्वीकृति पत्र, पी.जी. करार दस्तावेज जमा करने के लिए संविदाकार के साथ समन्वय करने के अनुरोध सहित With a request to coordinate with contractor for submission of Acceptance letter, P.G. Agreement documents to C&MM (WG).

ii) संविदाकार द्वारा कार्य के दौरान निविदा दस्तावेजों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, बोनस, EPF एवं ESI अंशदान इत्यादि श्रमिक कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना / Ensure the compliance of labour laws by contractor including payment of minimum wages, bonus, EPF & ESI contributions etc. as applicable as per tender documents during execution of work.

iii) कार्यदिश के निष्पादन के दौरान, मात्रा परिवर्तन के कारण एनपीसीआईएल को कोई हानि न हो सुनिश्चित करना / Ensure while executing the work order, no loss occurs to NPCIL due to quantity variation.

: Assistant commandant, CISF

: Office copy

Signature Not Verified

Digitally signed by ANUP KUMAR GUPTA
Date: 2026.07.08 11:21:18 IST

Location: eProcurement System for Central
PSUS0104MH1987GC49458